

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/41/2019

प्रवेश तिथि
03-06-2019

निर्णय दिनांक
23-08-2022

- 01- जगदीश पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 02- किशोरीलाल पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 03- रामनिवास पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 04- रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 05- रामधन पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।

अपीलाण्टस

बनाम

तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार
बानसूर दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत
धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण
संख्या 340/2019

उपस्थित:-

- 01-श्री राजेश गुप्ता
- 01-श्री दीपक मीना

-वकील अपीलाण्ट
-राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 340/2019 जिसके द्वारा सम्बत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह में से 0.01 है0 अतिक्रमण एवं 674 रकबा 3.44 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 1.00 है0 भूमि पर गेहु की फसल काश्त किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 673 674 रकबा 0.01, 3.44 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह , गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं किया गया है, ना ही काश्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 673, 674 रकबा 0.01, 3.44 किस्म गैर मुमकिन चाह , गैर मुमकिन खाल खद्वर वाकै ग्राम धीरपुर के 1.01 है0 पर अतिक्रमण करना बताया है। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

चाह एवं गैरमुमकिन खाल खददर में रकबा 1.01 है. पर अपीलान्ट द्वारा

लगातार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/41/2019 / 12/71/2021

प्रवेश तिथि
03-06-2019

निर्णय दिनांक
23-08-2022

- 01- जगदीश पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 02- किशोरीलाल पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 03- रामनिवास पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 04- रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर,
- 05- रामधन पुत्र प्रतापसिंह गुर्जर जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।

अपीलाण्टस

बनाम

तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार
बानसूर दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत
धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण
संख्या 340/2019

उपस्थित:-

- 01-श्री राजेश गुप्ता
- 01-श्री दीपक मीना

-वकील अपीलाण्ट
-राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 340/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह में से 0.01 है0 अतिक्रमण एंव 674 रकबा 3.44 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 1.00 है0 भूमि पर गेहु की फसल काश्त किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


वकील अपीलाण्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 673 674 रकबा 0.01, 3.44 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह , गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं किया गया है, ना ही काश्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 673, 674 रकबा 0.01, 3.44 किस्म गैर मुमकिन चाह , गैर मुमकिन खाल खद्वर वाकें ग्राम धीरपुर के 1.01 है0 पर अतिक्रमण करना बताया है। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आराजी एवं सरकारी नाले की भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई है, जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताना न्यायोचित नहीं है, जिस बिन्दु पर तहत न्यायालय ने समुचित गौर न करते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू सजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नहीं की गई है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में निर्णयों की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। जिस आधार पर पारित निर्णय अपारत किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.05.2019 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का द्वारा धमकी दी गयी कि अपीलान्टरा के विरुद्ध तहसीलदार बानसूर द्वारा आदेश जारी किये गये है। जिस पर अपीलान्टरा ने आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 24.05.2019 को ही आवेदन कर दिनांक 24.05.2019 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गयी आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2019 से सर्वप्रथम जानकारी एवं नकल मिलने का समय दिनांक 24.05.2019 एवं उसके पश्चात अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन फरमाते हुये अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टरा स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपारत किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 673 व खसरा न0 674 किरम गैर मुमकीन चाह/गैर मुमकीन खाल खद्वर की है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरुद्ध तीन गाह का शिविल कारावारा/ वेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर गनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 03.06.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.05.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 673 674 रकबा 0.01, 3.44 है0 किरम गैर मुमकिन चाह , गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं किया गया है, ना ही काश्त की गई। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की आराजी एवं सरकारी नाले की भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई है, जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताना न्यायोचित नहीं है, जिस बिन्दु पर तहत न्यायालय ने समुचित गौर न करते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश



अतिरिक्त ~~...~~ एडवोकेट (प्रथम)
असलवर (राज0)

चाह एवं गैरमुमकिन खाल खददर में रकबा 1.01 है. पर अपीलान्ट द्वारा

विधि विरुद्ध पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नहीं की गई है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का हरसोरा तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 14.01.2019 को सम्वत 2075 में आराजी खसरा न0 673 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह में अतिक्रमण व आराजी खसरा न0 674 रकबा 3.44 है0 में से 1.00 है0 भूमि में गेहु की फसल काश्त किये जाने पर अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 28.01.2019 को तलब किया गया। अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे पुन नोटिस जारी कर दिनांक 08.02.2019 नियत की गयी अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे, अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होने हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी पालना में अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुऐ किन्तु अपना जवाब पेश नहीं किया गया आदेशिका दिनांक 22.02.2019 से जाहिर है। पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया है, कि आराजी खसरा न0 673 व आराजी खसरा न0 674 किस्म गैर मुमकिन चाह/गैर मुमकिन खाल खद्वर की है, जो सरकारी भूमि है, पर अतिक्रमी जगदीश, किशोरीलाल, रामनिवास, रामसिंह, रामधन पुत्रान प्रतापसिंह जाति गुर्जर निवासी हरनाथ की ढाणी के अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है, इनके विरुद्ध पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिनके विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किया गया था। अब पुन पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। अर्थात आदतन अतिचारी है। तहत अदालत के समक्ष अतिक्रमीयो द्वारा अपना लिखित कथन पेश नहीं किया गया है, इस हेतु बार- बार नोटिस जारी किये गये है। यह कहना गलत है, कि तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का के नौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नहीं की गई है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। वर्णित आराजीयात राजकीय भूमि है, जिस पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनांक 22.02.2019 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा फर्द नीलामी/बेदखली पर्चा मौका की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में



(अधीनस्थ न्यायालय)
अति० जिल्म अलवर (प्रथम)
अलवर, (राज०)